भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

02.02.2022 के

अतारांकित प्रश्न सं. 197 का उत्तर

वल्लिक्कुन्नू स्टेशन में प्लेटफॉर्म की ऊंचाई

197. डॉ. एम.पी. अब्दुस्समद समदानी:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार केरल में पलक्कड़ डिवीजन के अंतर्गत वल्लिक्कुन्नू रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म की ऊंचाई कम होने के कारण यात्रियों को हो रही कठिनाइयों और इसके कारण हुई दुर्घटनाओं से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो लंबी अवधि और लोगों द्वारा बार-बार की जाने वाली मांगों के बाद भी प्लेटफॉर्म की ऊंचाई बढ़ाने में हो रही देरी के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा प्लेटफॉर्म की ऊंचाई बढ़ाने के कार्य को शीघ्रातिशीघ्र स्वीकृत करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): संरक्षा को ध्यान में रखते हुए, रेल मंत्रालय ने अप्रैल 2018 में न्यूनतम अनिवार्य सुविधाओं के मानदंडों को संशोधित किया है और बड़ी लाइन पर रेलवे स्टेशनों पर उनकी कोटि पर ध्यान दिए बिना ऊंची सतह के प्लेटफार्मों की व्यवस्था करने का निर्णय लिया है, जबकि पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि केवल पूर्ववर्ती 'ए1', 'ए' और 'सी' कोटि के स्टेशनों पर ऊंची सतह के

प्लेटफार्मों की व्यवस्था की गई थी। बहरहाल, प्लेटफार्म की ऊंचाई बढ़ाने के कार्य को स्वीकृत और निष्पादित करते समय निचली कोटि के स्टेशन की तुलना में उच्चतर कोटि के स्टेशन को प्राथमिकता दी जाती है।

वर्तमान में, रेलवे स्टेशनों को एनएसजी 1 से एनएसजी 6, एसजी 1 से एसजी 3 और एचजी 1 से एचजी 3 के रूप में कोटिकृत किया जाता है। वल्लीकुन्नू स्टेशन एक एनएसजी 6 कोटि का रेलवे स्टेशन है। रेलवे स्टेशन पर 02 मध्यम ऊंचाई वाले प्लेटफार्म हैं, जिन्हें उक्त नीति के तहत दी गई प्राथमिकता के अनुसार ऊंची सतह तक बढ़ाने की योजना बनाई गई है। बहरहाल, कार्य की स्वीकृति विभिन्न स्टेशनों के लिए प्रस्तावित समान कार्यों की सापेक्ष प्राथमिकता और संसाधनों की उपलब्धता तथा तकनीकी व्यवहार्यता पर निर्भर करती है।

*****